वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण,न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 22.03.2025

छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, दो सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। दो अवैध निर्माणों को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार मुगलसराय वार्ड के कुंडा नरिया में छह बीघे में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। पूर्व में नोटिस दिया गया था। प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। शिवपुर वार्ड के पिसौर में अजय विश्वकर्मा की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कराया गया था। दशाश्वमेध वार्ड के चुरामनपुर में ब्रजेश पटेल की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया गया था। सील कर अभिरक्षा में दिया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 22.03.2025

वीडीए ने दो अवैध निर्माण किए सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के पिसौर में अजय विश्वकर्मा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे थे। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

दशाश्वमेध वार्ड के चुरावनपुर में ब्रिजेश पटेल बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चार सौ वर्ग मीटर में अवैध निर्माण कर रहे थे। उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। उधर, जोन पांच के मुगलसराय वार्ड में कुंडा नरिया में छह बीघा अवैध प्लाटिंग को वीडीए ने [illegible] से ध्वस्त कर दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002
Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 22.03.2025

वीडीए जोन-5 द्वारा की गई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में 21 मार्च को वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- मुगलसराय के अन्तर्गत अज्ञात, द्वारा मौजा-कुंडा नरियां, थाना-मुगलसराय में लगभग 6 बीघा में की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 21.03.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव जय प्रकाश,अवर अभियंता अशोक यादव प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 22.03.2025

वाविप्रा जोन-1 ने की सीलबन्दी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वीडीए द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 वार्ड-शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा 21 मार्च को अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।वार्ड- शिवपुर के अंतर्गत अजय विश्वकर्मी, द्वारा आराजी नं 1145, मौजा- पिसौर, हिमाद्री मिश्रा के भवन के दक्षिण जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 1870 वर्गफीट के क्षेत्र में भूतल पर निर्माण कर फिनिशिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 22.03.2025

स्मार्ट सिटी 311 ऐप का प्रशिक्षण, शिकायत निस्तारण की हुई समीक्षा बैठक

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी 311 ऐप पर शिकायत निस्तारण हेतु एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्राधिकरण सभागार में किया गया। शहर में वायु प्रदुषण के कारणों को चिन्हित करके उनका समय से समुचित निस्तारण करने हेतु शासन द्वारा स्मार्ट सिटी-311ऐप बनाया गया है उक्त ऐप पर वायु प्रदुषण के कारणों यथा निर्माणाधीन स्थलों पर हरा परदा, पानी का छिड़काव, बिल्डिंग मैटेरियल को ढकने सहित बिल्डिंग मलबे का समुचित निस्तारण समय से सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली बनायी गयी है। स्मार्ट सिटी 311एप पर चिन्हित प्रकरणों में वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इत्यादि विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ऐप पर निस्तारण रिपोर्ट एंव फोटोग्राफ अपलोड किया जाना होता है। उक्त के सम्बन्ध में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी एंव अवर अभियन्ता तथा सम्बन्धित टीम को आज स्मार्ट सिटी ऐप की प्रशिक्षक प्रागी मिश्र एवं पियूष द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्माणधीन भवनों एंव विभागीय निर्माण स्थलों पर पर्दा लगाने पानी का छिड़काव करने सहित वायु प्रदुषण रोकने हेतु समुचित कार्यवाही कराने को निर्देशित किया गया। एयर पोलुशन एक्शन ग्रुप (एपीएजी) की टीम वायु प्रदुषण के कारकों का शहर में चिन्हांकन करेगी एवं प्रदुषण के स्त्रोतों पता लगायेगी और संबन्धित विभागों , जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण शामिल है, को शिकायत भेजेगी।

यदि कही निर्माण कार्य हो रहा हो तो वहा ग्रीन नेट का उपयोग, पानी का छिड़काव सहित अन्य प्रासंगिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि वायु प्रदुषण न बढ़े प्रशिक्षण कार्यशाला के उपरान्त प्राधिकरण सभागार में आइ.जी.आर.एस, आर.टी.आई एंव शासकीय सन्दर्भो की समीक्षा की गयी। सभी जोनल अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि नियत समयावधि के अन्तर्गत सन्दर्भो का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। जियोट्रिक्स साफ्टवेयर पर चिन्हित 54 बड़े निर्माणों में 5 का शमन मानचित्र दाखिल हुआ।

निर्देश दिया गया कि सभी शमनीय निर्माणों का शमन मानचित्र दाखिल कराया जाय एवं शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले निर्माणों को सील करते हुए अभियोजन एंव ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।उक्त बैठक में जोनल अधिकारी, अवर अधिकारी, भवन लिपिक सहित प्रवर्तन कार्मिक उपस्थित रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 22.03.2025

वीडीए में स्मार्ट सिटी-311 ऐप का प्रशिक्षण एवं शिकायत निस्तारण के बाबत हुई समीक्षा बैठक

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अपर सचिव परमानन्द यादव की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी 311 ऐप पर शिकायत निस्तारण हेतु एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्राधिकरण सभागार में किया गया। शहर में वायु प्रदुषण के कारणों को चिन्हित करके उनका समय से समुचित निस्तारण करने के लिए शासन द्वारा स्मार्ट सिटी-311ऐप बनाया गया है। उक्त ऐप पर वायु प्रदुषण के कारणों यथा निर्माणाधीन स्थलों पर हरा परदा, पानी का छिड़काव, बिल्डिंग मैटेरियल को ढकने सहित बिल्डिंग मलबे का समुचित निस्तारण समय से सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली बनायी गयी है।

स्मार्ट सिटी 311एप पर चिन्हित प्रकरणों में वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, इत्यादि विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त ऐप पर निस्तारण रिपोर्ट एंव फोटोग्राफ अपलोड किया जाना होता है। उक्त के सम्बन्ध में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी एंव अवर अभियन्ता तथा सम्बन्धित टीम को स्मार्ट सिटी ऐप की प्रशिक्षक प्रागी मिश्र एवं पियूष द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्माणधीन भवनों एंव विभागीय निर्माण स्थलों पर पर्दा लगाने पानी का छिड़काव करने सहित वायु

वीडीए के अपर सचिव परमानन्द यादव बैठक की अध्यक्षता करते हुए

प्रदुषण रोकने हेतु समुचित कार्यवाही कराने को निर्देशित किया गया। एयर पोलुशन एक्शन ग्रुप (एपीएजी) की टीम वायु प्रदुषण के कारकों का शहर में चिन्हांकन करेगी एवं प्रदुषण के स्त्रोतों पता लगायेगी और संबन्धित विभागों , जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण शामिल है, को शिकायत भेजेगी। यदि कही निर्माण कार्य हो रहा हो तो वहा ग्रीन नेट का उपयोग, पानी का छिड़काव सहित अन्य प्रासंगिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि वायु प्रदुषण न बढ़े प्रशिक्षण कार्यशाला के उपरान्त प्राधिकरण सभागार में आइ.जी.आर.एस, आर.टी.आई एंव शासकीय सन्दर्भो की समीक्षा की गयी। सभी जोनल अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि नियत समयावधि के अन्तर्गत सन्दर्भो का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय। जियोट्रिक्स साफ्टवेयर पर चिन्हित 54 बड़े निर्माणों में 5 का शमन मानचित्र दाखिल हुआ। निर्देश दिया गया कि सभी शमनीय निर्माणों का शमन मानचित्र दाखिल कराया जाय एवं शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले निर्माणों को सील करते हुए अभियोजन एंव ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। उक्त बैठक में जोनल अधिकारी, अवर अधिकारी, भवन लिपिक सहित प्रवर्तन कार्मिक उपस्थित रहे।